न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी – सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर– **223/2022**

GCMS No.2022/638

1. धर्मपाल } पुत्रान स्व. गोमाराम
2. सुभाष }
3. भागोती }
4. रामकला } पुत्रियान स्व. गोमाराम
5. मुनेश कुमारी }
6. मोहरा पत्नी स्व. गोमाराम

समस्त जातियान अहीर निवासीगण ढाणी झाड़ाला तन् सिहोड़ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

.... वादीगण

ब–ना–म

1. धन्सीराम } पुत्रान ओंकार
2. लीलाराम }
3. केशरी देवी पत्नी स्व. सुवाराम
4. लालचन्द पुत्र स्व. सुवाराम
5. कृष्णा }
6. अजनेश } पुत्रियान स्व. सुवाराम
7. मुनेश }
8. भादर पुत्र मैदा
9. राजपाल } पुत्र चन्द्राराम
10. रामनिवास }

(1 से 10) समस्त जातियान अहीर निवासीगण ढाणी झाड़ाला तन् सिहोड़ तहसील खेतड़ी

11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी तहसील खेतड़ी।

.... प्रतिवादीगण

दावा– खाता विभाजन

:: निर्णय :: दिनांक : 02/12/25

उपर्युक्त उनवानी प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 18–07–2024 को प्राथमिक डिक्री का निर्णय पारित किया गया कि **हाल खाता संख्या नया 92** में दर्ज खसरा नंबर क्रमशः 1405, 1406, 1763/459, 1765/462, 466, 467, 468, 469 कुल किता 8 कुल रकबा 4.39 है. में वादीगण का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्से का [illegible] खाता विभाजन कर लगान अलग से कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है [illegible] तहसीलदार खेतड़ी को 1000 रू. के खर्चे पर मौका कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि पक्षकारान के राजस्व रिकार्ड व मौके पर कब्जा काश्त तथा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्तों सम्बंधी राजस्व विभाग के परित्र दिनांक 06.11.2004 व राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान के परिपत्र क्रमांक प.3(17) राज–6/2021 पार्ट/91 जयपुर दिनांक 30.09.2021 के बिन्दु संख्या 6 को मध्यनजर रखते हुए माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक रा.म./न्याय/स्था.

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2025.12.23 16:03:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर

....प्रतिवादीगण

/प–15/2008/विविध/10546 दिनांक 05.10.2020 के परिप्रेक्ष्य में पक्षकारान को लिखित में सूचित कर उनकी उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर यथाशीघ्र भिजवाने हेतु तहसीलदार खेतडी को तहरीर जारी की गई। तहसीलदार खेतडी ने अपने पत्र क्रमांक भू.अ./2025/ 1468 दिनांक 16.06.2025 से न्यायालय के निर्णयानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली किये गये।

बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता वादियागण विभाजन प्रस्ताव पर सुनी गई। अधिवक्ता वादीगण ने तहसीलदार खेतडी द्वारा विभाजन प्रस्ताव दिनांक 16.06.2025 के अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांक 16.06.2025 (प्रदर्श –''अ–1 लगायत अ–6'' तथा नक्शा ट्रेस प्रदर्श–''ब–1) का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। अतः वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 16.06.2025 (प्रदर्श –''अ–1 लगायत अ–6'' तथा नक्शा ट्रेस प्रदर्श–''ब–1) के अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 16.06.2025 (प्रदर्श –''अ–1 लगायत अ–6'' तथा नक्शा ट्रेस प्रदर्श–''ब–1) के अंतिम डिक्री किया जाता है। वादीगण के हिस्से का अलग से खाता विभाजन कर लगान अलग से कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 16.06.2025 (प्रदर्श –''अ–1 लगायत अ–6'' तथा नक्शा ट्रेस प्रदर्श–''ब–1)इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगें। तहसीलदार खेतडी पक्षकारान के निवेदन पर प्रदर्श– ''ब'' के अनुसार सीमाकांन करवायेगें। रहन यदि कोई हो तो खातेदार को प्राप्त होने वाले रकबे/हक हिस्से में दर्ज किया जावे। उक्तानुसार अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो।

यह आज तारीख 02/12/25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2025.12.23 15:03:27 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी – सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर– **223 / 2022**

GCMS No.2022/638

निर्णय दिनांक :– 02/12/25

धर्मपाल आदि उनवान धन्सीराम आदि

दावा बाबत – **खाता विभाजन**

वादीगण की ओर से **श्री राधेश्याम भारद्वाज एडवोकेट** की उपस्थिति व प्रतिवादीगण की अनुपस्थित में इस वाद में आज तारीख 02/12/25 को **सुनील कुमार चौहान उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी** के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि –

" अतः वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 16.06.2025 (प्रदर्श –"अ–1 लगायत अ–6" तथा नक्शा ट्रेस प्रदर्श–"ब–1) के अंतिम डिक्री किया जाता है। वादीगण के हिस्से का अलग से खाता विभाजन कर लगान अलग से कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 16.06.2025 (प्रदर्श –"अ–1 लगायत अ–6" तथा नक्शा ट्रेस प्रदर्श–"ब–1)इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगें। तहसीलदार खेतडी पक्षकारान के निवेदन पर प्रदर्श– "ब" के अनुसार सीमाकांन करवायेगें। रहन यदि कोई हो तो खातेदार को प्राप्त होने वाले रकबे / हक हिस्से में दर्ज किया जावे। "

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 02/12/25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी झुन्झुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2025.12.23 15:03:27 IST
Reason: SelfAttested